प्रेस नोट **18/05/2025**

महिला एच्छिक ब्यूरो के प्रयास से 04 दंपती साथ साथ रहने को हुए राजी, 48 मामलों में से 10 मामलों का हुआ निस्तारण-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में आज दिनांक 18.05.2025 को महिला एच्छिक ब्यूरो की बैठक पुलिस कार्यालय में सम्पन्न हुयी। इस दौरान एच्छिक ब्यूरो के सदस्यो के समक्ष कुल 48 मामले आये जिसमें एच्छिक ब्यूरो के सदस्यो के प्रयास से 10 मामलों का निस्तारण हुआ तथा 04 दंपति पूजा सरोज/सन्तोष, मीना/सतीश, श्वेता/श्याम जीत, शाइस्ता/शाहनवाज आपसी मतभेद भुलाकर एक दुसरे के साथ रहने को राजी हुए। 06 फाईलें पक्षकारों की उदासीनता से बन्द की गयी। अन्य मामलों के निस्तारण हेतु ब्यूरो की बैठक की अगली तारीख 01.06.2025 दी गयी है। एच्छिक ब्यूरो की बैठक में अर्चना उपाध्याय, सर्वेश दूबे, शाहिद पैरिश, मौलवी अरशद, उ0नि0 समरजीत यादव, म0आ0 राजलक्ष्मी, पुनम पाल, करिश्मा राय उपस्थित रही।

04 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 18.05.2025 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना रानीपुर पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्त खिचडू सोनकर पुत्र मुन्नर सोनकर साकिन धर्मसीपुर थाना रानीपुर, जितेन्द्र पासवान पुत्र सुफेर पासवान साकिन महमूदपुर थाना रानीपुर व थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त छविलाल कनौजिया पुत्र बुद्धिलाल कनौजिया निवासी राजपुताना थाना दक्षिणटोला तथा थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त जमील अहमद पुत्र समीम अहमद निवासी खैराबाद थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में–

आज दिनांक 18.05.2025 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर तेन्दुली चट्टी के पास से मु0अ0सं0 193/25 धारा 137(2),87,70(2) बीएनएस व 5जी/6 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त रविन्द्र पुत्र गामा बनवासी निवासी मैनुद्दीनगंज लोहाटीकर थाना सरायलखन्सी के साथ एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा एकौना घाट के पास से मु0अ0सं0 129/25 धारा 420,468,471 भादवि में वांछित अभियुक्त भुल्लन यादव पुत्र दर्शन यादव निवासी एकौना मीरपुर रहिमाबाद थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।